

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा।

नियुक्ति सूचना- 02 / 2024

निर्देशानुसार सूचित करना है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त पारा विधिक स्वयं सेवक का एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वे सभी पूर्व नियुक्त पारा विधिक स्वयं सेवक यदि पुनः पूर्व निर्धारित शर्तों पर वर्ष 2024-2025 हेतु कार्य करना चाहते हैं, तो नए आवेदन पर अपने शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र सहित अपना स्वयं सेवक संख्या दर्ज कर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में दिनांक 17.08.2024 से दिनांक 07.09.2024 को समय 05:00 बजे अपराह्न तक अपना आवेदन समर्पित करें। आवेदन प्राप्त होने पर उनके पूर्व कार्य के आधार पर एक वर्ष के लिए उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

पुनः जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत कुल 100 पारा विधिक स्वयं सेवक सूचिवद्ध करने हेतु नया आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन का प्रारूप एवम् आवेदक की योग्यता का विवरण अलग से संलग्न किया जा रहा है। आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं प्रबंध कार्यालय में भी उपलब्ध है। योग्य आवेदक दिनांक 17.08.2024 से दिनांक 07.09.2024 के समय 05:00 बजे अपराह्न तक अपना आवेदन पंजीकृत डाक या स्वयं हाथों- हाथ निम्नांकित पते पर भेजे :-

आवेदन भेजने का पता :-

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा।
पिन कोड- 811105

कार्यालय इस सूचना की प्रति व्यवहार न्यायालय के सूचना पट्ट पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सूचना पट्ट पर, सभी विधिक सहायता केन्द्र के सूचना पट्ट पर एवं जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाए। कार्यालय, विज्ञापन एवं सूचना की एक प्रति जिला विधिज्ञ संघ के सूचना पट्ट पर लगाने हेतु जिला विधिज्ञ संघ को अनुलग्नक के साथ भेजें।

आदेशानुसार

Ritu Kumari
16/8/24.

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
शेखपुरा।

आम सूचना

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा।

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।

आवेदन कौन दे सकता है :- (जो शेखपुरा जिला के स्थायी निवासी है।)

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष/अन्य) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं इनमें शिक्षक (सेवा निवृत्त शिक्षक सहित), सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र (विधि के छात्र जिनका अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं है), गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर), जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार पारा विधिक स्वयं सेवक के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझें। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते हैं, उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य

पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय द्वारा सौंपा जाए, को करना है।

पदों की संख्या :-

100 (एक सौ)। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा का होगा। चूंकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा। सभी आवेदक अपने-अपने प्रखण्ड से ही आवेदन करेंगे।

आरक्षण :-

क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। यह चयन एक वर्ष के लिए है।

उम्र सीमा :- न्यूनतम 18 वर्ष।

शैक्षणिक योग्यता :- मैट्रिक पास अथवा समकक्ष।

आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा के कार्यालय में डाक द्वारा या स्वयं हाथों - हाथ दिनांक 17.08.2024 से दिनांक 07.09.2024 के समय 05:00 बजे अपराह्न तक भेजें। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ पच्चीस रुपये का डाक टिकट लगा, स्वपता लिखा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदक अपने आवेदन पर अपनी संपर्क संख्या (मोबाइल नं०) अनिवार्य रूप से लिखें।

मानदेय :-

रु० -500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन। परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए भुगतें होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयं सेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए० डी० आर० केन्द्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सामान्य अनुदेश :-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
3. अच्छा चरित्र का हो, तथा समाजसेवा में रुचि रखता हो।
4. कोई भी अपराधिक मुकदमे का आरोपी/दोषसिद्ध न हो।
5. किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो।

नियुक्ति प्रक्रिया :-

पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा के चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा और बाध्यकारी होगा।

साक्षात्कार की तिथि :-

दिनांक 21.09.2024 से 24.09.2024 तक व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा में समय 01:30 बजे दिन से शाम 05:00 तक लिया जाएगा।

आवेदन जमा करने का पता :-

सम्पर्क संख्या - 06341-223006

आवेदन दाखिल करने की अन्तिम तिथि - 07.09.2024

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकार,

व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा।

पिन कोड- 811105

नोट:- आवेदक विहित प्रपत्र सिविल कोर्ट, शेखपुरा के अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साक्षात्कार एवं चयन से संबंधित सूचना हेतु <https://districts.ecourts.gov.in/sheikhpura> पर देख सकते हैं।

P. Kumar
सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा।

16.8.24

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।
(पारा विधिक स्वयं सेवक में चयन नियुक्ति नहीं है। आप किसी स्थायी/अस्थायी/अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में सहयोग देने हेतु स्वयं सेवक है।)

1. नाम :-

स्व- अभिप्रेमाणित फोटो

2. पिता का नाम :-

3. वर्तमान पता :-

4. स्थायी पता (मोबाइल नं० सहित) :-

5. जन्म तिथि :-

6. शैक्षणिक योग्यता :-

(यदि कार्य अनुभव हो तो प्रमाण - पत्र संलग्न करें)

7. आवेदक किस श्रेणी से है यथा (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/महिला) :-

8. आवेदक निम्न में से किस श्रेणी का है -

a. शिक्षक (कार्यरत/सेवानिवृत्त)

b. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी

c. सामाजिक विज्ञान रुनातकोत्तर/शिक्षक

d. आंगनवारी सेविका/चिकित्सक

e. छात्र/ विधि अध्ययनरत छात्र (जब तक कि उसका अधिवक्ता के रूप में पंजीयन नहीं हुआ हो)

f. किसी गैर राजनितिक संगठन NGO /उसका सदस्य/ सामाजिक कार्य से जुड़ा

g. महिला स्वयंसेवक समूह एवं अन्य विशेष समुदाय की महिला

h. अन्य

9. आवेदक के विरुद्ध लंबित मुकदमा में आवेदनकर्ता (आवेदक/ विपक्षी) क्या है

(यदि मुकदमा लंबित है तो न्यायालय का नाम तथा अपराध कि धराए/आवेदक जमानत पर है या नहीं)

10. आवेदक को किसी न्यायालय से दोष सिद्ध किया गया है/आवेदक किसी मामले में फरार चल रहा हो

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई सभी सुचना मेरी जानकारी में विश्वसनीय एवं सत्य है। इसके असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

तिथि :-

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु
साक्षात्कार पत्र
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

क्रमांक -
(कार्यालय उपयोग के लिए)

1. नाम :-

2. पिता का नाम :-

3. जन्म तिथि :-

4. आवेदक की श्रेणी (सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग)
.....

स्व- अभिप्रेमाणित फोटो

5. स्थायी पता :-

ग्राम/ मोहल्ला..... पंचायत का नाम.....

प्रखंड थाना..... जिला.....

पिन.....राज्य.....

6. पत्राचार पता (मोबाइल नं० सहित) :-

ग्राम/ मोहल्ला..... पंचायत का नाम.....

प्रखंड थाना..... जिला.....

पिन.....राज्य.....

7. ई-मेल (यदि हो तो)-

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:-

तिथि :-

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

साक्षात्कार तिथि -

समय -

स्थान -

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा

घोषणा पत्र

मैं पिता -

ग्राम / मोहल्ला पंचायत का नाम

प्रखंड थाना जिला

पिन राज्य

घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है और मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध या दिवालिया घोषित नहीं किया गया है। मैं बिना किसी लोभ के, स्वेच्छा से विधिक सेवा का कार्य करना चाहता / चाहती हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर